आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
6/1/2015	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 40/11** **सुरेन्द्र सिंह बनाम बिहार सरकार (अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा) एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 09/मु0 दिनांक 10.2.11 के विरूद्ध दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 29.12.10 को अनुमंडल स्तरीय गठित जॉच दल के द्वारा सुरेन्द्र सिंह, अनुज्ञप्ति सं0 29/07 ग्राम सरेयां बसंत, पंचायत–डेवढ़ी, थाना–तरैया की दुकान की जॉच की गयी। जॉच के कम में निम्नांकित अनियमितताएँ पायी गयी: 1. विकेता अनुपस्थित थे। 2. दूकान बंद पायी गयी। 3. दूकान से संबंधित सूचनापट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट समुचित रूप से संधारित नहीं था। 4. विकेता के परिवार के सदस्यों के द्वारा भंडार पंजी/ वितरण पंजी जॉच हेतु उपस्थापित नहीं किया गया। उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 631	

दिनांक 31.1.11 के द्वारा विकेता से स्पष्टीकरण पूछा गया। विकेता द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। विकेता के द्वारा प्रस्तुत जवाब को असंतोषजनक पाते हुए अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विकेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि जॉच की तिथि 29.1.11 को विकेता मढ़ौरा खाद्यान्न गोदाम से अपना खाद्यान्न उठाव करने चला गया था और उस दिन उसके द्वारा खाद्यान्न का उठाव भी किया गया, जिससे संबंधित एस.आई.ओ. की छायाप्रति जवाब के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया गया था। विकेता के घर पर कोई व्यस्क सदस्य नहीं था, जिस वजह से उसकी अनुपस्थिति में दूकान खोलकर रखना या दूकान से संबंधित कागजात जॉच पदाधिकारी को देखा पाना संभव नहीं था। विकेता के द्वारा नियमित रूप से अपना दूकान खोला जाता है एवं सूचनापट्ट पर मूल्य प्रदर्शन किया जाता है। जॉच की तिथि को भी विकेता के द्वारा दूकान बंद किए जाने का कारण सूचनापट्ट पर अंकित किया गया था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि किसी सरारती बच्चे के द्वारा उसे मिटा देने की वजह से जॉच पदाधिकारी को वह दिखायी न दिया हो। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने आदेश में अंकित किया गया है कि विकेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों में अंकित कतिपय अनियमितताओं के संबंध म विकेता के विरूद्ध कार्रवाई की गयी है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि यदि विकेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों/पंजी में किसी प्रकार की कोई अनियमितता पायी गयी थी, तो उनसे पूरक कारणपृच्छा की जाती, लेकिन ऐसा नहीं करके विकेता के विरूद्ध उन बिन्दुओं को आधार बनाकर उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है, जिसका उल्लेख कारणपृच्छा में किया ही नहीं गया था और इस तरह विकेता को उन बिन्दुओं पर अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया

गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विकेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख में रक्षित कागजातों का परिसीलन किया गया। परिसीलनोपरान्त मैं यह पाता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा किए गए कारणपृच्छा में कोई भी गंभीर आरोप नहीं लगाया गया है। न ही किसी उपभोक्ता के द्वारा किए गए किसी शिकायत का ही उल्लेख किया गया है। विकेता के द्वारा जॉच की तिथि को खाद्यान्न के उठाव के लिए गोदाम पर जाने से संबंधित साक्ष्य के रूप में भंडार निर्गमादेश की प्रति प्रस्तुत किया गया है। जिस पर गेहूँ के निर्गत किए जाने का प्रमाण निर्गमण पदाधिकारी के द्वारा तिथि सहित अंकित है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि विकेता के द्वारा जान–बूझकर दूकान को बंद नहीं रखा गया था। विकेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों में अंकित कतिपय अनियमितताओं के संबंध में विकेता के विरूद्व कार्रवाई की गयी है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि यदि विकेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों/पंजी में किसी प्रकार की कोई अनियमितता पायी गयी थी, तो उनसे पूरक कारणपृच्छा की जाती, लेकिन ऐसा नहीं करके विकेता के विरूद्व उन बिन्दुओं को आधार बनाकर उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है, जिसका उल्लेख कारणपृच्छा में किया ही नहीं गया था और इस तरह विकेता को उन बिन्दुओं पर अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्व है। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। साथ ही विकेता को निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में इसका ध्यान रखना सुनिश्चित करें कि यदि किसी आवश्यक कार्य से दूकान से अनुपस्थित होने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो किसी प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा दूकान का

	खुला रखना एवं जॉच पदाधिकारी को जॉच हेतु कागजात उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा इसकी पूर्व सूचना नियंत्री पदाधिकारी को अवश्य दी जाए। वाद निष्पादित। लेखापित एवं संशोधित जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा	

ज्ञापांक 02 मु(व) दिनांक 13/01/2015

प्रतिलिपिः—अनुमंडल पदाधिकारी,मढौरा को निम्न न्यायालय का अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण,छपरा को इस जिले के वेबसाइट पर उक्त आदेश को निदेशानुसार अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा,सारण,छपरा।